बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि १३ दिसम्बर, १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीपनारायण सिंह—महाशय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के षष्टम् सत्र के १५१ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा के मेज पर रखता हूं। शेष लंबित प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराए जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्यों के नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री रामानन्द तिवारी	४, २८६, ७२६, १०३४, ११०४, १२३१।
२	श्री कर्पूरी ठाकुर	१५, ५६, ३६०, १३५४।
३	श्री रामानन्द सिंह	७४, ३४१, ७५५।
४	श्री एस० के० बागे	१२१, २४७, ६९५, १०३०, १२५२, १२६८, १७३७।
५	श्रीमती बनारसी देवी	११०, १२१७, १३३६।

(३) क्या यह बात सही है कि ट्राईंग के शिक्षक को एक साल के लिये एक्सटेंशन (Extension) मिला है और फिर एक साल के लिये प्रयास किया जा रहा है ;

(४) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो फिर उन्हें एक्सटेंशन (Extension) देने से सरकार को क्या फायदा है ?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है। पुनः सेवा-वृद्धि के लिये शिक्षक ने आवेदन-पत्र दिया था।

(४) इनकी पुनः सेवा-विस्तार की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी गयी और दिनांक १ मार्च, १९६० से वह सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

बकाये वेतन की चुकती।

११६५। श्री देवीलाल जी —क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री जनक प्रसाद सिंह सारण जिले के मढ़ौरा थाना अन्तर्गत विक्रमपुर लोअर प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे, जो डि० बोर्ड, सारण जिला (छपरा) के पत्रांक ३९८७, दिनांक २५ जून, १९५६ के अनुसार कार्यभार से मुक्त कर दिये गये ;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री जनक प्रसाद सिंह का अप्रैल, मई और जून का वेतन डि० बोर्ड के जिम्मे रह गया तथा प्रोविडेन्ट फन्ड की रकम भी उन्हें नहीं मिली ;

(३) क्या यह बात सही है कि उपरोक्त शिक्षक ने बकाया वेतन तथा प्रोविडेन्ट फन्ड के संबंध में सारन जिले के शिक्षा अधीक्षक को एक रजिस्टर्ड पत्र दिया था जिसका नं० १७३ है और दूसरा आवेदन-पत्र सन् १९५८ ई० में दिया जिसकी पोस्टल रसीद संख्या १७८ है ;

(४) क्या यह बात सही है कि उन्होंने डि० बोर्ड के चेयरमैन को पोस्टल रजिस्ट्री के द्वारा पत्र दिया था जिसका नं० १७२ (सन् १९५७) और १७७ (सन् १९५८) है ;

(५) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार श्री जनक प्रसाद सिंह को बकाया वेतन तथा प्रोविडेन्ट फंड के रुपये शीघ्रातिशीघ्र देने का विचार करती है ?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है पर उनकी सेवा-समाप्ति तारीख १७ जनवरी, १९५६ से ही प्रभावी थी।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(३) यह सही है कि श्री जनक प्रसाद सिंह ने बकाया वेतन एवं भविष्य-निधि की रकम के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिया था।

(४) इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

(५) श्री जनक प्रसाद सिंह की ६० वर्ष की उम्र १८ जनवरी, १९५६ को पूरी हुई, पर वे उसके बाद भी कार्य करते रहे और इसकी सूचना अधिकारी को नहीं दी। अंकेक्षण के समय यह पता चला और अंकेक्षण रिपोर्ट में उनसे १०२ रु० २ आ० वसूल करने की राय दी गयी है, जिस रकम को उन्होंने अतिरिक्त ले लिया था। फलतः उनको वेतन एवं भविष्य-निधि की राशि नहीं मिली है। इस विषय को जल्दी निबटाने के लिये जिला पर्षद् से जिला शिक्षा अधीक्षक का पत्राचार चल रहा है।

पुल की मरम्मत।

११७६। श्री केशव प्रसाद—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के फतुहा थाना में भयंकर बाढ़ आयी थी जिससे थाने के हजारों एकड़ तथा मोरी दह गया था ;

(२) क्या यह बात सही है कि गत बाढ़ धोवा नदी, दर्धा नदी, भुतही नदी, पुनपुन नदी और महतमाईन नदी में बांध नहीं रहने के कारण आयी थी ;

(३) क्या यह बात सही है कि गत बाढ़ आने के कारण ग्राम पुन्दाह के नजदीक भुतही नदी में खुशहालपुर, बढ़ौना सिकन्दरपुर, किसकिरिया, चऊरा, बकधारी ग्रामों में खांड़ हो गया है ;

(४) क्या यह बात सही है कि ग्राम दौलतपुर के पश्चिम एक पैन में पुल था जिससे पुनपुन नदी से पानी लिया जाता था वह टूट गया है जो अभी तक बेमरम्मत पड़ा हुआ है ;

(५) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उल्लिखित खंडों तथा पुल को अतिशीघ्र मरम्मत करा देने का विचार करती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं तो क्यों ?

डा० श्रीकृष्ण सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) इन नदियों के किनारे तटबन्ध न रहने के कारण बाढ़ आई थी।

(३) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(४) उत्तर स्वीकारात्मक है। टूटे हुए पुल का नव-निर्माण ग्राम दौलतपुर को सहयोग समिति के माध्यम से प्रखंड द्वारा सितम्बर, १९५९ में प्रारंभ किया गया था जो अब समाप्तप्राय है।

(५) उल्लिखित खंडों एवं पुलों की मरम्मत चल रही है।